25/2/25 आज पत्रावली पेश हुई / वकील

(उभयपक्ष मय उपस्थित / वकील उभयपक्ष हाजिर

की बहस सुनी दोनों पक्षों की सहमति

के बाद डिक्री तैयार पाया है / मुताबिक

डिक्री के खसरा नम्बरान 1889, 1891, 1894,

1897, 1923, 1963 की पर्चा डिक्री जारी हैं।

उपरोक्त रिपोर्ट प्रदर्श-1 / पर्चा डिक्री का

तकमील करेगा। पर्चा डिक्री जारी होकर अहलकार

जारी हो। Order हेतु इसार लिखकर जरिये

[illegible] के प्रस्तुत [illegible] / पत्रावली फैसल

शुमार होकर बाद [illegible] दाखिल

[illegible] हो।

सहायक कलेक्टर (फा०ट्रे०)
मुख्यालय (खैरथल-तिजारा)

सहायक कलेक्टर (फा०ट्रे०)
मुख्यालय (खैरथल-तिजारा)

FP हो / [illegible]

न्यायालय सहायक कलक्टर, मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0

पीठासीन अधिकारी :– सुरेश कुमार बलाई (R.A.S.)

दावा सख्या	रजू दिनांक	अन्तिम पर्चा डिक्री दिनांक
27 / 2021	26.02.2021	25.02.2025

उनवान

1 बीरबल सिंह पुत्र इन्द्राज जाति जाट निवासी ततारपुर तह0 मुण्डावर जिला अलवर राज0।

–: वादी

बनाम

1. फकीरचन्द पुत्र शंकर
2. कुलदीप किशनसिंह
3. सुखपाल सिंह पुत्र किशनसिंह
4. उदयसिंह पुत्र सुरजा
5. सविता पुत्र सुरजा
6. मु0 सुगना देवी पत्नी स्व0 सुरजा
7. चन्दर
8. मंगू पुत्रान मामचन्द जाति निवासीयान ततारपुर तह0 मुण्डावर
9. सन्तनिरकरी मुण्डल रजि0 निरकारी कालोनी नई दिल्ली जर्ये शुभराम चौधरी
10. प्रभाती पुत्र मादिया
11. छोटा
12. भगवानी
13. प्यारी पुत्रीयान मादिया जाति जाटान निवासी ततारपुर तह0 मुण्डावर
14. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होण्डर तहसीलदार मुण्डावर
15. श्रीमन उप पंजीयक महोदय मुण्डावर अलवर राज0।

–: प्रतिवादीगण

दावा 53 व 188 राज0 कास्त0 अधि0

–: अन्तिम पर्चा डिक्री :–

वादी की ओर से **सरजीत सिंह चौधरी एडवोकट** की उपस्थिति एवं प्रतिवादीगण की ओर से **श्री घर्मवीर बडसीवाल एडवोकट** की उपस्थिति में इस वाद में **आज दिनांक 25.02.2025** को **श्री सुरेश कुमार बलाई, सहायक कलक्टर मुण्डावर** के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है **और अन्तिम डिक्री दी जाती है:–**

" तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा पेश कुरेजात प्रस्ताव पर वादी व प्रतिवादी वकील की आपसी सहमति जाहीर करने पर वादी का वाद पत्र अन्तिम डिक्री किया जाकर वाके ग्राम ततारपुर तहसील मुण्डावर, जिला खैरथल तिजारा राज0 में स्थित भूमि आराजी हाल 1889, 1891, 1894, 1897, 1923, 1963 अनुसार वादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्राप्त कुर्रेजात प्रस्ताव प्रदर्श "अ" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार मुण्डावर रिकॉर्ड में अमल, तरमीम करावे। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/रकबे/कब्जे काश्त/हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजाहमत, किसी भी रूप में, किसी भी प्रकार से, किसी भी माध्यम से, न करे, न करावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करे।"

यह अन्तिम पर्चा डिक्री आज दिनांक 25.02.2025 को मेरे द्वारा लिखायी जाकर बाद हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

सहायक कलक्टर (फा0ट्रै0)
मुण्डावर (खैरथल-तिजारा)

(सुरेश कुमार बलाई)
सहायक कलक्टर,
मुण्डावर, खैरथल तिजारा, राज0